ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः–3प/विविध–17–17/2019/ 48(स्वी०) /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 28/02/2022

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायकों को मानदेय के भुगतान हेतु अनुमान्य आधार पर कुल ₹9,98,000 (नौ लाख अन्ठानवें हजार रूपये) मात्र के राशि की स्वीकृति।**

प्रसंगः– **विभागीय स्वीकृत्यादेश–3प/विविध–17–17/2019/04(स्वी०)/पं०रा०, दिनांक –12.05.2021 एवं विभागीय आवंटनादेश–5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/08 (आ०)/पं०रा० दिनांक–12.05.2021**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश की निरंतरता में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर अनुमान्य आधार पर निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप कुल राशि **₹9,98,000 (नौ लाख अनठानवें हजार रूपये)** मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।	₹1,47,000.00 (एक लाख सैतालिस हजार रूपये मात्र)।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	₹1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।	₹1,62,000.00 (एक लाख बासठ हजार रूपये मात्र)।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा।	₹1,77,000.00 (एक लाख सतहत्तर हजार रूपये मात्र)।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	₹1,44,000.00 (एक लाख चौवालिस हजार रूपये मात्र)।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली।	₹50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र)।
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	₹1,68,000.00 (एक लाख अड़सठ हजार रूपये मात्र)।
	कुलः–	**₹9,98,000 (नौ लाख अनठानवें हजार रूपये) मात्र**

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उप शीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना" मद के "विषय शीर्ष–0102.28.02–संविदा सेवाएँ" से वित्तीय वर्ष 2021–22 में की जाएगी। इसकी माँग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–16–2515000010102 है।

4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

5. इस राशि का आवंटनादेश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अलग से निर्गत किया जाएगा जिसके आधार पर राशि की निकासी की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय विवरणी महालेखाकार एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2017 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–3प/विविध–17–17/2019 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–60/टि० पर दिनांक–24/02/2022 को प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–3प/विविध–17–17/2019 के टिप्पणी पृष्ठ सं०–61/टि० पर दिनांक–26/02/2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–3प/विविध–17–17/2019/48(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपि–जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार, नवादा, पश्चिम चम्पारण, सहरसा, पूर्णियाँ, वैशाली, एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–3प/विविध–17–17/2019/48(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपि–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार, नवादा, पश्चिम चम्पारण, सहरसा, पूर्णियाँ, वैशाली एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–3प/विविध–17–17/2019/48(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार, नवादा, पश्चिम चम्पारण, सहरसा, पूर्णियाँ, वैशाली, एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–3प/विविध–17–17/2019/48(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 28/02/2022

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ई–मैल के माध्यम से संबंधित को सूचित करेंगे।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी